राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय, पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) एवं संस्कृत शिक्षा

क्रमांकः प. 19(12)शिक्षा–2/2016 जयपुर, दिनांक : 04/04/2022

:: परिपत्र :: IMMEDIATE

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि शिक्षा विभाग के विभिन्न शिक्षकों/कार्मिकों को सम्भाग स्तर/राज्य स्तरीय/जिला व ब्लॉक स्तर पर कतिपय कार्यालयों (सम्भागीय कार्यालय/जिला परिषद्/कलक्ट्रेट/उप खण्ड कार्यालय/पंचायत समिति/तहसील व अन्य विभागीय कार्यालय इत्यादि) में कार्य व्यवस्थार्थ लगाया हुआ है। उक्त शिक्षकों व कार्मिकों द्वारा अपनी सेवाएं शिक्षा विभाग की जगह अन्य कार्यालयों में दी जा रही है, जबकि इनका वेतन शिक्षा विभाग के विभिन्न स्कूल/कार्यालयों से आहरित किया जा रहा है। समय–समय पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त विभिन्न शिकायतों/विधान सभा प्रश्नों/ध्यानाकर्षण/स्थगन प्रस्तावों आदि के माध्यम से उक्त स्थिति पर गम्भीर नाराजगी जतायी जाती रही है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 के अनुसार दस वर्षीय जनगणना, आपदा प्रबन्धन, चुनाव कार्यों, पल्स पोलियो अभियान आदि के लिये भी शिक्षकों की सेवाऐं ली जाती है, किन्तु इस तरह के कार्यों के सम्पन्न होने के पश्चात् भी शिक्षकों/कार्मिकों को उनके मूल पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त नहीं किया जाता है।

उक्त स्थिति नितान्त अस्वीकार्य है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मुख्य सचिव जी के परिपत्र दिनांक 21.06.2019, पत्र दिनांक 06.09.2019 एवं 14.11.2019 तथा मुख्य सचिव जी के आदेश दिनांक 05.06.2020 द्वारा जारी निर्देशों के पश्चात् भी शिक्षकों/कार्मिकों के मूल पदस्थापन वाले विद्यालयों/कार्यालयों हेतु कार्यमुक्त नहीं होने के कारण इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 09.12.2021 एवं संशोधित परिपत्र दिनांक 21.12.2021 द्वारा शिक्षा विभाग के कार्मिक जो कि अन्य विभागों में लगे हुये है, की कार्यव्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाकर बिना कार्यमुक्त हुए अपने मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु संदर्भित पत्रों के क्रम में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कतिपय कार्मिक आदिनांक तक अन्य विभागों में लगे हुये हैं।

अतः इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 09.12.2021 एवं संशोधित परिपत्र दिनांक 21.12.2021 के अनुक्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि शिक्षा विभाग के कार्मिक जो कि अन्य विभागों (चुनाव कार्यो को अतिरिक्त) में लगे हुये है, ऐसे समस्त कार्मिको की कार्यव्यवस्था/प्रतिनियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर उक्त कार्मिकों को बिना कार्यमुक्त हुये ही अपने मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु निर्देशित कर, उक्त समस्त कार्मिकों की मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

यदि कार्यव्यवस्था/प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाना आवश्यक हो तो राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित कर, अनुमति प्राप्त कर लगाया जावें।

उक्त परिपत्र की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावें।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(पवन कुमार गोयल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा/संस्था/एफ–3/13406/सामान्य प्रतिनियुक्ति/2019/ दिनांकः 6 APR 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा पुस्तकालय, पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय), माध्यमिक/प्रारम्भिक।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर